अन्तिम स्मरण–पत्र
अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान–जयपुर।

क्रमाकः नर्सिंग / वरि0 / वि0कर्म0 / (एफ–197) / 19 / दिनांकः

सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
जोन–जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर,
बीकानेर, भरतपुर, कोटा।

विषयः– जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियो की डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु ए0सी0आर0 भिजवाने बाबत्।

सदर्भः– निदेशालय के पत्र क्रमांकः नर्सिंग / वरि0 / (वि0कर्म0) / एफ–197 / 18 / 125 दिनांक–27.06.18, क्रमांक–173 दिनांक–28.08.18, क्रमाक–182 दिनांक–11.09.18, क्रमांकः–214 दिनांक 26.10.18 क्रमांकः182 दिनांक–11.09.18, क्रमाकः 07 दिनाक–08.01.19 एवं क्रमांक 75 दिनांक 04.04.19 के क्रम में।

––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विभागीय कर्मचारी जो जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण एडहोक नर्स श्रेणी–द्वितीय के पद पर कार्यरत कार्मिकों की नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु सूची भेजकर कार्मिकों की वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक की एसीआर भिजवाने हेतु लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक वांछित एसीआर प्राप्त नही हुई है। कार्मिको की एसीआर के अभाव मे डीपीसी किया जाना संभव नही हो पा रहा है। एसीआर के अभाव में डीपीसी द्वारा पदौन्नति पर विचार नहीं करते हुए नर्स–2 की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नही किया जा सकता है, तथा नर्स–प्रथम के पद पर पदौन्नति पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। जिसकी जिम्मेदारी कार्मिक की स्वयं की होगी।

अतः आप संबंधित कर्मचारी को पाबन्द करे कि वह पूर्व में संलग्न सूची अनुसार बकाया एसीआर तत्काल भरकर संबधित प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी उपरान्त आप विशेष वाहक के द्वारा एसीआर निदेशालय को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त जीएएनएम प्रशिक्षणार्थी को उनके प्रशिक्षण अवधि की एसीआर भी स्वय के हस्ताक्षरित भिजवाई जानी आवश्यक है। संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध प्रतिकूल सेवा रिकार्ड की स्थिति यथा चेतावनी, दण्ड, क्रिमिनल केस, निलम्बन, विभागीय जाच, लम्बी अनुपस्थिति, कोर्टकेस एवं दिनांकः 1 जून 2002 या उसके पश्चात सतानो की संख्या मे दो से अधिक की बढोतरी की स्थिति से भी अवगत करावें।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),

क्रमांकः नर्सिंग / वरि0 / वि0कर्म0 / (एफ–197) / 19 / 137 दिनांकः 22/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय को भेज कर लेख है कि पूर्व में सलग्न सूची में वर्णित कर्मचारी जो आपके अधीन पदस्थापित हों उनके वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को आपके स्तर से पूर्ण कर अविलम्ब विभागीय जांच की सूचना के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेवसाईट पर प्रकाशित करने का श्रम करे ।

(मुकुल शर्मा),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान–जयपुर